218

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2795–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2013 पारित कलेक्टर, सागर (म.प्र.) स्वप्रेरणा निग. प्र.कं. 03ए/19 वर्ष 12–13

1– केशव पुत्र काशीराम लोधी

2– होतीलाल पुत्र संग्रामलोधी

निवासीगण ग्राम डोमा तहसील केसली,

जिला सागर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– उदयराम पुत्र कुन्जीलाल

2– बलराम पुत्र गोकल

3– शंकर पुत्र भूरे

4– बबलू पुत्र करन

5– बलवंत पुत्र चिन्तू

सभी निवासीगण ग्राम डोमा तहसील केसली, जिला–सागर

.... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता, आवेदकगण

अनावेदकगण एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 17 –08–2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, सागर द्वारा स्वप्रेरणा निग. प्र.कं. 03ए / 19 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण 1 ता 5 सूचना उपरांत अनुपस्थित उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक कनई व हम्मीर (मृत) का आदेश पत्रिका दिनांक 04.07.2016 के पालन में निगरानी मेमो से नाम कम किया गया।

3– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसीलदार केसली जिला–सागर ने रा.प्र.क्र. 29अ / 19(4) वर्ष 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2001 द्वारा ग्राम डोमा तहसील केसली में स्थित भूमि ख.नं. 303 / 2 रकवा 0.69 है0 मिट्ठू पिता चेतू ख.नं. 303 / 3 रकवा 0.67 है0, रत्तू पुत्र भूरे 303 / 4 रकवा 0.67 है0 उदयराम पुत्र कुंजी 303 / 5 रकवा 0.67 है0 बलराम पुत्र गोकल 303 / 6 रकवा 0.67 है0 शंकर पुत्र भूरे 303 / 7 रकवा 0.67 है0 हम्मीर पुत्र छैकोड़ी, 303 / 8 रकवा 0.67 है0 मुन्ना पुत्र बब्बू 303 / 9 रकवा 0.67 है0 गनपत पुत्र छैकोड़ी 303 / 10 रकवा 0.67 है0 बबलू पुत्र करन 303 / 11 रकवा 0.67 है0 कनई पुत्र पूरन 303 / 12 रकवा 0.67 है0 बलवंत पुत्र चिन्तू को अपने आदेश क्र. 1 ता 11 तक अवैध रूप से पट्टे वितरित किये गये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो अपील प्र.क्र. 40अ / 19(1) वर्ष 2008–09 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 20.04.2010 द्वारा अपील स्वीकार

कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2001 में आदेश के क्र 3 ता 6 एवं 9 ता 11 को जारी किये गये पट्टे निरस्त किये गये। आदेश दिनांक 20.04.2010 के विरूद्ध अनावेदक 1 ता 4 ने अपर कलेक्टर सागर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जो प्र.क्र. 30ए/19(1)/10–11 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 07.09.2011 द्वारा खारिज हुआ। उक्त आदेश केविरूद्ध अनावेदकगण ने वरिष्ठ न्यायालय में कोई निग./अपील नहीं की इस प्रकार उक्त आदेश अंतिम हो गया। अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2010 के विरूद्ध पुनः नया आवेदन कमिश्नर सागर के जनसुनवाई कैम्प में दिनांक 26.02.2013 को आवेदकगण के विरूद्ध शिकायत की कि उक्त व्यक्तियों ने गलत जानकारी देकर पट्टे निरस्त करा दिये हैं तथा भूमि पर उन्हें कब्जा नहीं मिल रहा है। कैम्प में कमिश्नर सागर एवं कलेक्टर दोनों के मौजूद होने से उक्त आवेदन पर कलेक्टर सागर ने स्वप्रेरणा निग. प्र. क्र. 03अ/19 वर्ष 12–13 दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण मंगाकर आवेदक को सुने बिना अपने आदेश दिनांक 11.07.2013 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20.04.2010 निरस्त कर तहसील आदेश बहाल कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 303/2 लगायत 303/12 की भूमि पर आवेदकगण केशव, होतीलाल एवं दो अन्य लखन पुत्र गनेश, व मन्नू पिता चेतराम के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है। जिस पर उनके पूर्वजों का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज

होकर कब्जा अंकित रहा उक्त भूमि पर उनके पूर्वज अपने जीवनकाल में काबिज होकर कृषि करते रहे उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण एवं दो अन्य लखन, मन्नू काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान समय में भी काबिज होकर कृषि कर रहे हैं आवेदक के पूर्वजों की पुश्तैनी कब्जा वाली भूमि पर राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन दर्ज होने से गलत बंटन शासन द्वारा कर दिया गया । आवेदक एवं अन्य कब्जाधारियों को सूचना दिये बगैर बेदखल किये बिना उनके कब्जे की भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से अनावेदकगण एवं अन्य व्यक्तियों को आदेश दिनांक 04.04.2001 द्वारा वादग्रस्त भूमि आवंटित की गई है किन्तु मौके पर भूमि का न तो सीमांकन किया न ही पट्टेधारियों अनावेदकगण एवं अन्य को आज दिनांक तक पट्टे की भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ वर्तमान में भी आवेदकगण एवं दो अन्य का ही मौके पर कब्जा है।

यह तर्क भी दिया गया कि अनावेदकगण के पास पूर्व से भूमिस्वामी हक की 5 एकड़ से अधिक भूमि थी ग्राम डोमा के स्थाई निवासी नहीं थे बाहर मजदूरी करते थे वर्ष में कभी–कभी गांव आते जाते रहते हैं अनावेदकगण के नामउक्त हल्का के बाहर भूमिस्वामीहक की भूमि है जिस तथ्य को छिपाकर अनावेदकगण ने भूमिहीन होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत कर तहसील न्यायालय को गुमराह कर पट्टे प्राप्त किये हैं।

यह तर्क भी दिया गया कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगणों का 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। जिसके प्रमाण में खसरा पांचशाला की कॉपी, अर्थदण्ड की रसीदे प्रथम अपीली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी वादग्रस्त भूमि ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीली थी जिसे उन्होने श्रम व धन खर्च कर कृषि योग्य बनाया है वाद भूमि पर आवेदकगण का एवं उनके पूर्व पूर्वजों का

लंबे अर्से से कब्जा होने के कारण भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने से उनका नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किया जाये।

यह तर्क भी दिया गया कि बंटन आदेश दिनांक 04.04.2001 के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की थी जो आदेश दिनांक 20.04.2010 द्वारा आंशिक स्वीकार कर बंटन आदेश दिनांक 04.04.2001 को अनावेदकगण को जारी पट्टे तक ही निरस्त किया गया है। जबकि बंटन की सूची क्र. 1 व 2 में दिये गये पट्टे पर मन्नू का कब्जा है एवं सूची क्र. 6, 7, 8 में दिये गये पट्टे पर लखन का कब्जा है। इस प्रकार उक्त पट्टे भी निरस्त किये जाने चाहिये थे। आदेश दिनांक 20.04.2010 के विरूद्ध अनावेदक 1 ता 4 ने अपर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था जो प्र.क्र. 30ए/19(1)/10–11 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 07.09.2011 द्वारा खारिज हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की अनावेदकगण ने नये सिरे से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.02.2013 के आधार पर कलेक्टर सागर ने स्वमेव निगरानी मेंदर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी का अदोश दिनांक 20.04.2010 निरस्त कर बंटन आदेश दिनांक 04.04.2001 द्वारा बहाल करने में त्रुटि की है। इस प्रकार उक्त सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर आवेदकगण के कब्जे व स्वत्व की भूमि पर राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया ।

6– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण के पूर्वजों का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होकर कब्जा अंकित रहा है। उक्त भूमि पर उनके पूर्वज अपने

जीवनकाल में काबिज होकर कृषि करते रहे उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण एवं दो अन्य लखन, मन्नू काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। आवेदकगणों का 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है प्रमाण में खसरा पांचशाला, अर्थदण्ड की रसीद अभिलेख में संलग्न है। आवेदक के पूर्वजों की पुश्तैनी कब्जा वाली भूमि पर राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन दर्ज होने से शासन द्वारा अनावेदकगण एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों को बंटन कर दी जबकि मौके से आवेदकगण का कब्जा नहीं हटाया था न ही मौके पर पट्टेधारियों को कब्जा दिये जाने का प्रमाण है। अनावेदकगण स्थाई रूप से ग्राम मे निवास भी नहीं करते हैं एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को पट्टे दे दिये गये इस प्रकार बंटन किये जाने के पूर्व न तो जांच की गई और न ही मुनादी कराई गई प्रक्रिया का पालन किये बिना ही अनावेदकगण एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों को पट्टे वितरित कर दिये गये। इस प्रकार तहसील न्यायालय में अनावेदकगण एवं अन्य को पट्टे वितरित करने में त्रुटि की थी। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण को दिये गये पट्टे निरस्त किये हैं। जबकि तहसील न्यायालयद्वारा पारित आदेश दिनाक 04.04.2001 को बंटन सूची में क्रं. 1 से 11 तक अनावेदकगण एवं अन्य को जारी किये गये पट्टे की भूमियों पर आवेदकगण एवं अन्य दो लखन पुत्र गनेश व मन्नू पिता चेतराम का स्वत्व स्वामित्व एवं कब्जा होने से बंटन सूची क्रं. 1 से 11 तक के व्यक्तियों को जारी किये गये पट्टे निरस्त योग्य है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर सागर ने अनावेदकगण के आवेदन दिनांक 26.02.2013 के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर बंटन आदेश बहाल किये हैं जबकि संहिता में संशोधन अनुसार किसी व्यक्ति के आवेदन पर 30.12.2011 के पश्चात कलेक्टर

को निगरानी सुनने की अधिकारिता ही नहीं थी ऐसी स्थिति में उक्त सभी आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2010 निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार केसली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2001 बंटन सूची कं. 1 लगायत 11 तक आवेदकगण एवं अन्य दो लखन व मन्नू के हित तक ख.नं. 303/2 लगायत, 303/12 तक में उल्लिखित भूमियों पर **अनावेदकगण 1 ता 5 एवं कनई, हम्मीर, मिट्ठू, रत्तू, मुन्ना, गनपत** को दिये गये पट्टे निरस्त किये जाते हैं । एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदकगण के नाम ग्राम डोमा तहसील केसली में स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 303/4, 303/5, 303/6 रकवा कमंशः 0.67, 0.67, 0.67 है0 कुल रकवा 2.000 है0 भूमि पर केशव एवं ख.नं. 303/10, 303/11, 303/12 रकवा कमंशः 0.67, 0.67, 0.67 कुल रकवा 2.000 है0 भूमि पर होतीलाल के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि तदनुसार आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर